हिन्दी प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी चंडीगढ़
(तिथि 11 दिसंबर 2024, समय 1305 (5 मिनट)

हरियाणा सहित आज देशभर में गीता जयंती मनाई जा रही है। आज ही के दिन भगवन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। कुरुक्षेत्र के भीम पार्क में आज सुबह 11 बजे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का समारोह प्रारम्भ वैश्विक गीता पाठ से हुआ।
वैश्विक गीता पाठ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ,स्वामी चितानन्द जी और तंजानिया के मंत्री ,पिंडी हज़ार चन्ना ने भाग लिया। दिन में 12 बजे करीब अष्टाध्यक्ष श्लोकी गीता पाठ का आयोजन किया गया जिसमें हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी व आमजन ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और श्री मनोहर लाल भी गीता जयंती के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिनभर गीता जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा।
****
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के फाइनल में युवा नवाचारियों से बातचीत करेंगे। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान वर्चुअल माध्यम से देश के 51 केन्द्रों में आयोजित होने वाले इस सातवें हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन करेंगे। फाइनल में विद्यार्थियों की एक हजार तीन सौ से अधिक टीमें भाग ले रही हैं। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन दैनिक जीवन में आने वाली प्रमुख समस्याओं के समाधान का मंच उपलब्ध कराने की राष्ट्रव्यापी पहल है। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों,राज्य सरकारों और उद्योगों द्वारा 250से अधिक समस्या-विवरण सौंपे गये हैं। संस्थान स्तर पर 86 हजार टीमों ने हैकेथॉन में भागीदारी की और इन संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्द्धा के लिए लगभग 49 हजार विद्यार्थियों की टीमों की अनुसंशा की गई।

****

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक,राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिदेशक और केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे ।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा इस दौरान हरियाणा में पुलिस, जेल, अदालत , अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया गया। गृह मंत्री ने हरियाणा को 31 मार्च, 2025 तक राज्य में नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा।उन्होंने तकनीक के उपयोग पर बल देते हुए कहा कि राज्य के हर ज़िले में एक से अधिक फॉरेन्सिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिएं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि Zero FIR की निगरानी की जिम्मेदारी पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी की हो, और प्रदेशों के हिसाब से अन्य भाषाओं में इनका अनुवाद सुनिश्चित हो। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक सभी पुलिसकर्मियों को बताएं कि संवेदनशील होकर समय पर न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है।केन्द्रीय गृह मंत्री ने पुलिस महानिदेशक को सभी पुलिस अधीक्षकों द्वारा निर्धारित समय सीमा के तहत मामलों की जांच सुनिश्चित करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को हर 15 दिन और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सप्ताह में एक बार तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने को भी कहा।